संख्या–43 / 33–3–2020–67 / 2012

प्रेषक,

अनीता सिंह

प्रमुख सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

(1) समस्त जिलाधिकारी उ0प्र0।

(2) समस्त मुख्य विकास अधिकारी उ0प्र0।

(3) समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।

(4) समस्त अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, उ0प्र0।

पंचायतीराज अनुभाग–3 **लखनऊ** **दिनांक 10 जनवरी, 2020**

विषयः–पंचायत पुरस्कार वर्ष 2020 के अन्तर्गत दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार, नाना जी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार एवं बाल मैत्री ग्राम पंचायत पुरस्कार वर्ष 2020 के क्रियान्वयन / मार्ग–निर्देश के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–एन0–11019 / 24 / 2019–गर्वनेन्स–पार्ट(1) दिनांक 03 जनवरी, 2020 एवं www.panchayataward.gov.in पर उपलब्ध मार्गनिर्देशिका द्वारा पंचायत पुरस्कार, वर्ष 2020 हेतु ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों के वर्ष 2018–19 के उत्कृष्ट कार्यो के आधार पर ऑनलाइन नामांकन करने हेतु सामान्य एवं सामान्य+विषयगत श्रेणी की प्रश्नावलियां भारत सरकार की वेब–पोर्टल (www.panchayataward.gov.in) पर इस आशय से उपलब्ध करायी गयी है कि त्रिस्तरीय पंचायतों द्वारा वर्ष 2018–19 में किये गये उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार, नाना जी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, ग्राम पंचायत विकास योजना (जी0पी0डी0पी0) पुरस्कार एवं बाल मैत्री ग्राम पंचायत पुरस्कार 2020 हेतु ऑन–लाइन नामांकन किया जा सके। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें:–

1– **योजना का उद्देश्य :–**

- पंचायतों को जवाबदेह संस्था के रूप में विकसित किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना।
- पंचायतों को अधिनियम व नियम के अनुसार कार्यवाही करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना।
- उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत किया जाना।

2– **सामान्य निर्देश :–**

- त्रिस्तरीय पंचायतों द्वारा वर्ष 2018–19 में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर उक्त समस्त पुरस्कार सम्बन्धी प्रश्नावलियों को ऑनलाइन भरकर स्वमूल्यांकन

Amit Sri.

कर दिनांक 31 जनवरी, 2020 तक जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।

- इस प्रकार ऑनलाइन भरी हुई प्रश्नावलियों के परीक्षण एवं सत्यापनोपरान्त कार्यालय ज्ञाप संख्या–2931(1)/33–3–2015–153/2015 दिनांक 30 अक्टूबर, 2015 **(छायाप्रति संलग्न)** के अनुसार स्टेट पंचायत परफारमेन्स कमेटी द्वारा अंकों के अवरोही क्रम में सर्वोत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाली दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार के अन्तर्गत 30 ग्राम पंचायतों, 04 क्षेत्र पंचायतों एवं 02 जिला पंचायतों, नाना जी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार के अन्तर्गत 01 ग्राम सभा, ग्राम पंचायत विकास योजना (जी0पी0डी0पी0) पुरस्कार के अन्तर्गत देश में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली 03 ग्राम पंचायतों एवं बाल मैत्री ग्राम पंचायत पुरस्कार के अन्तर्गत प्रदेश में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली 01 ग्राम पंचायत का प्रस्ताव भारत सरकार को दिनांक 14 फरवरी, 2020 के पूर्व उपलब्ध कराया जायेगा।
- दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार हेतु त्रिस्तरीय पंचायतों द्वारा आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से समयान्तर्गत भारत सरकार की वेब–पोर्टल (www.panchayataward.gov.in) पर दिये गये मार्गनिर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
- उक्त समस्त पुरस्कार के लिए वेब–पोर्टल (www.panchayataward.gov.in) पर आवेदन हेतु सचिव, ग्राम पंचायत एवं खण्ड विकास अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी (पं0) के यूजर आईडी और पासवर्ड सम्बन्धित जिला पंचायत राज अधिकारी की ईमेल आईडी पर तथा जिला पंचायतों के यूजर आईडी और पासवर्ड पूर्व वित्तीय वर्ष में उपलब्ध कराये गये यूजर आईडी और पासवर्ड ही मान्य होगें।
- दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार 2020 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा पुरस्कार के दो श्रेणी यथा सामान्य एवं सामान्य+विषयगत दिये गये हैं। सामान्य पुरस्कार हेतु पंचायतों द्वारा 100 अंकों वाली प्रश्नावली (सामान्य प्रश्नावली) के माध्यम से एवं सामान्य+विषयगत पुरस्कार हेतु सामान्य प्रश्नावली एवं भारत सरकार द्वारा चयनित 09 विषयों में से किसी एक विषय पर 20 अंकों वाली प्रश्नावली पर आवेदन किया जायेगा।
- दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा सामान्य श्रेणी या सामान्य+विषयगत श्रेणी में तथा क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों द्वारा सामान्य श्रेणी में आवेदन किया जायेगा।
- दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार हेतु भारत सरकार द्वारा चयनित 09 विषयों की सूची निम्नवत् हैः–

  1– स्वच्छता।

  2– नागरिक सेवायें (पेयजल, स्ट्रीटलाईट, बुनियादी संरचना)।

  3– प्राकृतिक संसाधन का प्रबन्धन

  4– सीमान्त वर्ग की सेवायें (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विकलांग/महिलाओं/वरिष्ठ नागरिक)।

5— सामाजिक क्षेत्र में प्रदर्शन।

6— आपदा प्रबन्धन।

7— ग्राम पंचायतों को व्यक्तिगत/स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा दी जा रहीं सेवायें।

8— राजस्व सृजन में नवाचार।

9— ई—गर्वनेन्स।

- दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार हेतु भारत सरकार के निर्देशानुसार किसी जनपद से 02 क्षेत्र पंचायतों तथा 02 ग्राम पंचायतों से अधिक का प्रस्ताव पुरस्कार के लिए नहीं किया जायेगा।
- दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार हेतु स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी से प्राप्त अंको के आधार पर अवरोही क्रम में सर्वोत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाली 30 ग्राम पंचायतों, 04 क्षेत्र पंचायतों व 02 जिला पंचायतों का भारत सरकार द्वारा सत्यापन कराकर दिनांक 24 अप्रैल, 2020 को कुल चयनित पंचायतों में से एक तिहाई ग्राम पंचायतों को सामान्य+विषयगत पुरस्कार की श्रेणी में तथा शेष पंचायतों को सामान्य पुरस्कार की श्रेणी में पुरस्कृत किया जायेगा।
- नाना जी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार 2020 हेतु भी उक्त वेबसाइट पर ही समान प्रक्रिया के अनुसार ग्राम सभा द्वारा वर्ष 2018—19 में किये गये उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर 100 अंकों वाली सामान्य प्रश्नावली पर नामांकन किया जायेगा।
- ग्राम पंचायत विकास योजना (जी0पी0डी0पी0) पुरस्कार 2020 हेतु भी उक्त वेबसाइट पर ही समान प्रक्रिया के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2018—19 में किये गये उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर 100 अंकों वाली सामान्य प्रश्नावली पर नामांकन किया जायेगा।
- बाल मैत्री ग्राम पंचायत पुरस्कार 2020 हेतु भी उक्त वेबसाइट पर ही समान प्रक्रिया के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2018—19 में किये गये उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर 100 अंकों वाली सामान्य प्रश्नावली पर नामांकन किया जायेगा।
- निदेशक, पंचायतीराज एवं समस्त जिलाधिकारी अपने स्तर से योजना का प्रचार—प्रसार करने हेतु स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क विज्ञापन के माध्यम से तथा जनपद/विकास खण्ड स्तर पर सोशल मीडिया के माध्यम से किया जायेगा।

3— आवेदन एवं चयन प्रक्रियाः—

दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार 2020 (सामान्य एवं विषयगत) की प्रश्नावलियॉ ऑन—लाइन निम्नलिखित प्रकार से भरी जायेंगी :—

(1) दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार 2020 हेतु सभी त्रिस्तरीय पंचायतें उपलब्ध प्रश्नावलियों पर वर्ष 2018—19 में किये गये उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर ऑन—लाइन अपने स्तर से फ्रीज कर जनपद स्तर पर गठित जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी को अग्रसारित करेगी। जनपद स्तर पर गठित जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी द्वारा इस प्रकार प्राप्त

Amit Sri.

प्रश्नावालियों का अनुमोदन कर पंचायतों को राज्य स्तर पर गठित स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी को अग्रसरित कर फ्रीज करेंगी। यह कार्य वेब–पोर्टल www.panchayataward.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन किया जायेगा।

(2) **ग्राम पंचायत के सम्बन्ध में**– दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार हेतु पंचायत पुरस्कार के वेब–पोर्टल (www.panchayataward.gov.in) पर उपलब्ध सामान्य श्रेणी में ग्राम पंचायत द्वारा 100 अंकों वाली प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर तथा सामान्य+विषयगत पुरस्कार हेतु 9 विषयों में से किसी एक विषय की 20 अंकों वाली प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर सम्बन्धित ग्राम पंचायत के सचिव, ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी) तथा प्रधान द्वारा साक्ष्यों के आधार पर सहायक विकास अधिकारी (पं0) की देख–रेख में सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा ऑन–लाइन भर कर फ्रीज की जायेंगी। प्रश्नावलियों के प्रश्नों के उत्तरालेखन के साक्ष्यों की जिम्मेदारी/उत्तरदायित्व सम्बन्धित सचिव, ग्राम पंचायत की होगी। इस प्रकार फ्रीज की गयी प्रश्नावलियॉ जो जनपद स्तर पर कार्यालय ज्ञाप संख्या–2931(1)/33–3–2015–153/2015 दिनांक 30 अक्तूबर, 2015 द्वारा गठित जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी को परीक्षण हेतु ऑन–लाइन उपलब्ध हो जायेंगी। जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी द्वारा पंचायतों के प्रस्तुतीकरण एवं प्रश्नावलियों के परीक्षण कर अनुमोदित पंचायतों की सूची स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी को ऑन–लाइन फ्रीज कर अग्रसारित की जायेंगी।

(3) **क्षेत्र पंचायत के सम्बन्ध में**– दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार हेतु पंचायतीराज की वेब–पोर्टल (www.panchayataward.gov.in) पर उपलब्ध सामान्य श्रेणी में क्षेत्र पंचायत की 100 अंकों वाली प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर सम्बन्धित जनपद के सम्बन्धित विकास खण्डों के सहायक विकास अधिकारी(पं0)/खण्ड विकास अधिकारी/ब्लॉक प्रमुख की देख–रेख में साक्ष्यों के आधार पर सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा ऑन–लाइन भर कर प्रश्नावलियॉ फ्रीज की जायेगी। प्रश्नावलियों के प्रश्नों के उत्तरालेखन के साक्ष्यों की जिम्मेदारी/उत्तरदायित्व सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी की होगी। इस प्रकार फ्रीज की गयी प्रश्नावलियॉ जनपद स्तर पर गठित जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी को परिक्षण हेतु ऑन–लाइन उपलब्ध हो जायेगी। जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी द्वारा क्षेत्र पंचायतों के प्रस्तुतीकरण एवं प्रश्नावलियों के परीक्षण कर अनुमोदित पंचायतों की सूची स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी को ऑन–लाइन फ्रीज कर अग्रसारित की जायेगी।

(4) उपरोक्तानुसार जनपदों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी से स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी को अग्रसरित करने वाली पंचायतो की कुल संख्या 08 ग्राम पंचायत प्रति जनपद तथा 04 क्षेत्र पंचायत प्रति जनपद से कम न हो।

(5) **जिला पंचायत के सम्बन्ध में**– दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार हेतु पंचायतीराज की वेब–पोर्टल (www.panchayataward.gov.in) पर उपलब्ध जिला पंचायत की 100 अंको वाली प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर सम्बन्धित जनपद के अपर मुख्य अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/जिला पंचायत, अध्यक्ष की देखरेख में

Amit Sri.

साक्ष्यों के आधार पर सम्बन्धित अपर मुख्य अधिकारी द्वारा ऑन–लाइन भर कर प्रश्नावलियॉं फ्रीज की जायेगी। इस प्रकार फ्रीज की गयी प्रश्नावलियॉं स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (SPPAC) को ऑन–लाइन उपलब्ध हो जायेगी। स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी को जिला पंचायतों द्वारा अग्रसारित प्रश्नावलियों का उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक द्वारा परीक्षण कर चयनित सूची स्थलीय सत्यापन के लिए ऑफलाइन उपलब्ध करायी जायेगी। तत्पश्चात् स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

(6) ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत की सामान्य बैठक में योजना की जानकारी को पढ़कर सुनाने हेतु समस्त जनपदों के अन्तर्गत आने वाले विकास खण्डों की संख्या के अनुसार समस्त जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारियों को नमूने के तौर पर मुद्रित पुस्तक ऑन–लाइन उपलब्ध करायी जायेगी एवं समस्त जनपदों की जिला पंचायत की सामान्य बैठकों में योजना की जानकारी को पढ़कर सुनाये जाने हेतु समस्त अपर मुख्य अधिकारी उ0प्र0 को उपनिदेशक जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक उ0प्र0 लखनऊ के माध्यम से नमूने के तौर पर मुद्रित पुस्तक ऑन–लाइन उपलब्ध करायी जायेगी अथवा सभी प्रश्नावलियॉं विभाग की वेब–साईट www.panchayataward.gov.in पर भी उपलब्ध करा दी गई है।

(7) उपरोक्त योजना की ऑन–लाइन प्रक्रिया की जानकारी हेतु निदेशालय स्तर पर समस्त जिला परियोजना समन्वयको/जिला परियोजना प्रबन्धकों को प्रशिक्षण दिया जायेगा जो अपने जनपद के सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारियों/खण्ड विकास अधिकारियों/अपर मुख्य अधिकारी को प्रशिक्षण देगें। प्रशिक्षण का समय/दिनांक/स्थान निश्चित कर इन अधिकारियों को ट्रेनिंग में भाग लेने हेतु समस्त जनपदों के सबंधित जिला पंचायत राज अधिकारियों द्वारा निर्देश निर्गत कर प्रशिक्षण कराया जायेगा। जनपद के सम्बधित जिला परियोजना समन्वयक/जिला परियोजना प्रबन्धक स्वयं इन प्रश्नावलियों को भरने में ग्राम पंचायत अधिकारियों/खण्ड विकास अधिकारियों/अपर मुख्य अधिकारी की सहायता भी करेंगे।

(8) जनपदो व विकास खण्डों से समयान्र्तगत ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत व ग्राम सभा की ऑन–लाइन सर्वोत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाली प्रश्नावलियों को अंको के आधार पर अवरोही क्रम में सूचीबद्ध करने हेतु निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 द्वारा निदेशालय स्तर पर निम्नवत कमेटी गठित की जायेगी :–

(1) अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक(पं0) पंचायती राज उ0प्र0।

(2) एक प्रशासनिक अधिकारी, पंचायती राज उ0प्र0।

(3) दो कन्सलटेन्ट (आर0जी0एस0ए0) पंचायती राज उ0प्र0।

उक्त कमेटी के परीक्षणोपरान्त अंकों के अवरोही क्रम में सर्वोत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाली 06 जिला पंचायतों, 12 क्षेत्र पंचायतों व 90 ग्राम पंचायतों व जनपदो से प्राप्त ग्राम सभा की सूची तैयार की जायेगी तथा पंचायतो का स्थलीय सत्यापन कराने के लिए निदेशालय स्तर पर सत्यापन दल के गठन हेतु भारत सरकार द्वारा जारी योजना के दिशा–निर्देशों के अनुरूप निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0 अधिकृत होगें, जो कि पूर्व की भांति जिला/मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक/समन्वयक, जिला/मण्डलीय कन्सलटेन्ट, राज्य कन्सलटेन्टस एवं किसी अन्य संस्था के माध्यम से किया जा सकेगा।

Amit Sri.

पंचायतों के स्थलीय सत्यापन हेतु सत्यापन दल को निदेशालय स्तर पर प्रशिक्षण दिया जायेगा। परीक्षणोपरान्त सत्यापन दल द्वारा 06 जिला पंचायतों, 12 क्षेत्र पंचायतों एवं 90 ग्राम पंचायतों का सत्यापन किया जायेगा एवं सत्यापनोपरान्त सत्यापन दल द्वारा उक्त समस्त पंचायतों की स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0 को ऑनलाइन अग्रसारित की जायेगी।

(9) सत्यापन दल द्वारा अग्रसारित ऑनलाइन सत्यापन रिपोर्ट का निदेशालय स्तर पर परीक्षण कर प्राप्त अंको के अवरोही क्रम में सर्वोत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाली 30 ग्राम पंचायतों, 04 क्षेत्र पंचायतों व 02 जिला पंचायतों का प्रस्ताव स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। तत्पश्चात स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी द्वारा 30 ग्राम पंचायतों, 04 क्षेत्र पंचायतों व 02 जिला पंचायतों का अनुमोदन कर प्रस्ताव भारत सरकार को दिनांक 14 फरवरी, 2020 तक ऑन–लाइन उपलब्ध कराया जायेगा।

(10) उक्त के अतिरिक्त अन्य समस्त पुरस्कार 2020 हेतु उक्त वेबसाइट पर ही समान प्रक्रिया के अनुसार ग्राम पंचायत/ग्राम सभा द्वारा वर्ष 2018–19 में किये गये उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर 100 अंकों वाली प्रश्नावलियाँ अंकित कर संबंधित ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा ऑन–लाइन नामांकन कर दिनांक 31 जनवरी, 2020 तक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी हेतु फ्रीज की जायगी तथा जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी द्वारा अनुमोदित ग्राम सभा में से सर्वोत्कृष्ट एक ग्राम सभा की प्रश्नावलियां को दिनांक 05 फरवरी, 2020 तक स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी हेतु फ्रीज की जायेगी। नाना जी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार के अन्तर्गत 02/03 ग्राम सभाओं, ग्राम पंचायत विकास योजना (जी0पी0डी0पी0) पुरस्कार के अन्तर्गत 02 ग्राम पंचायत एवं बाल मैत्री ग्राम पंचायत पुरस्कार के अन्तर्गत 03 ग्राम पंचायत का निदेशालय स्तर पर गठित कमेटी द्वारा भारत सरकार को स्टेट पंचायत परफारमेन्स कमेटी के माध्यम उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) इस प्रकार दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार अन्तर्गत कुल चयनित 36 त्रिस्तरीय पंचायतों, नाना जी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार अन्तर्गत कुल 02/03 ग्राम सभाओं, ग्राम पंचायत विकास योजना (जी0पी0डी0पी0) पुरस्कार के अन्तर्गत भारत सरकार राष्ट्रीय वरीयता के आधार पर चयनित ग्राम पंचायत एवं बाल मैत्री ग्राम पंचायत पुरस्कार के अन्तर्गत कुल 03 ग्राम पंचायत का पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वयं के स्तर से स्थलीय सत्यापन कराया जायेगा। सत्यापनोपरान्त सूचना सही पाये जाने पर भारत सरकार द्वारा दिनांक 24 अप्रैल, 2020 को दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार अन्तर्गत कुल चयनित 36 त्रिस्तरीय पंचायतों, नाना जी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, ग्राम पंचायत विकास योजना (जी0पी0डी0पी0) पुरस्कार एवं बाल मैत्री ग्राम पंचायत पुरस्कार के अन्तर्गत पंचायतीराज मंत्रालय द्वारा निर्धारित ग्राम पंचायत/ग्राम सभा को पुरस्कृत किया जायेगा।

योजनान्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त होने वाली प्रशासनिक मद की धनराशि को विभिन्न मदों में भारत सरकार के मार्गनिर्देशानुसार निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 के निवर्तन पर रखे जाने के उपरान्त यथास्थिति व्यय किया जायेगा। शासन द्वारा निर्धारित

की गयी समयसीमा को दृष्टिगत रखते हुए समयान्तर्गत उक्त प्रक्रिया पूर्ण कर निम्न बिन्दुओं के आधार पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले जनपदों में से चयनित 05 जिलाधिकारियों, 05 मुख्य विकास अधिकारियों, 05 जिला पंचायत राज अधिकारियों व निम्न प्रक्रिया पूर्ण कर निम्न बिन्दुओं के आधार पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले जनपदों की संख्या के आधार पर प्रदेश के 02 मण्डलायुक्त व 02 मण्डलीय उपनिदेशक(पं0) को मानदेय स्वरूप धनराशि से पुरस्कृत किया जायेगा :–

क्र.	कार्यवाही बिन्दु	पूर्णांक
1	People's plan campaign 2019 के दौरान वर्ष 2020–21 की सबसे अधिक वार्षिक कार्ययोजना Approve करने (gpdp.nic.in) की स्थिति दिनांक 31 जनवरी, 2020 तक • 71–100 प्रतिशत – • 75–90 प्रतिशत – • 50–75 प्रतिशत – • 25–50 प्रतिशत –	(30) 30 25 20 15
2	प्रियासाफ्ट–पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर जनपद की ग्राम पंचायतों का Onboard कर Payment करने की स्थिति दिनांक 31 मार्च, 2020 तकः– • 50–74 प्रतिशत – • 75–90 प्रतिशत – • 91–100 प्रतिशत –	(30) 10 20 30
3	वित्तीय वर्ष 2020–21 की ग्राम पंचायत विकास योजना को प्लान–प्लस पर अपलोड किये की स्थिति दिनांक 31 मार्च, 2020 तक। • 50–74 प्रतिशत – • 75–90 प्रतिशत – • 91–100 प्रतिशत –	(15) 5 10 15
4	एम–एक्शन साफ्ट के माध्यम से वर्ष 2018–19 में चयनित ग्रामों में परिसम्पत्तियों की जियो टैगिंग में प्रतिशत के आधार पर की गयी जियो टैगिंग के अनुसार दिये जाने वाले अंकों की स्थिति– • प्रथम जनपद • द्वितीय जनपद • तृतीय जनपद • चतुर्थ जनपद • पंचम जनपद	(25) 25 20 15 10 05

Amit Sri.

उक्त के अतिरिक्त शासन तथा निदेशालय स्तर पर इस योजना के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अधिकारी/कर्मचारी व कन्सलटेन्ट को भी प्रोत्साहन स्वरूप प्रशस्ति पत्र/मानदेय से सम्मानित किया जायेगा।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि पंचायतीराज की वेबसाइट (www.panchayat award.gov.in) पर उपलब्ध ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत से सम्बन्धित प्रश्नावलियों को **संलग्न समय–सारिणी** के अनुसार ऑन–लाइन भरकर उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करायें।

संलग्नक–उक्तानुसार

भवदीय,

(अनीता सिंह)

प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांकः– तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– डा0 संजीब पटजोशी, संयुक्त सचिव पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार 11वी मंजिल, जीवन प्रकाश बिल्डिंग, 25 के0जी0 मार्ग नई दिल्ली के पत्र संख्या–एन0–11019/ 24/2019–गर्वनेन्स–पार्ट(1) दिनांक 3 जनवरी, 2020 के क्रम में।

2– प्रमुख सचिव/सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं प्राथमिक शिक्षा उ0प्र0 शासन।

4– समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0।

5– आयुक्त, ग्राम्य विकास 10 वां तल जवाहर भवन लखनऊ।

6– निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0।

7– महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान बख्शी का तालाब लखनऊ।

8– उपनिदेशक जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, पंचायतीराज निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित व अपने अधीनस्थ जनपदों के अपर मुख्य अधिकारियों को अपने स्तर से उपरोक्तानुसार निर्देशित करें तथा कृत कार्यवाही से निदेशक पंचायतीराज उ0प्र0 को अवगत कराये।

9– समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पं0) उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि वह अपने अधीनस्थ जनपदों के जिला पंचायत राज अधिकारियों को अपने स्तर से उपरोक्तानुसार निर्देशित करें तथा कृत कार्यवाही से निदेशक पंचायतीराज उ0प्र0 को अवगत कराये।

आज्ञा से,

(जोगेन्द्र प्रसाद)

संयुक्त सचिव।

Amit Sri.

शासनादेश संख्या :– 43/33–3–2020-64/2015 दिनांक 10 जनवरी, 2020 का संलग्नक

दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार, नाना जी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, ग्राम पंचायत विकास योजना (जी0पी0डी0पी0) एवं बाल मैत्री ग्राम पंचायत पुरस्कार 2020 के परिवेक्षण एवं विभिन्न कार्यकलापों की समय सारणी।

क्र0सं0	गतिविधि	दिनांक
1	प्रदेश के जिला परियोजना प्रबन्धकों को प्रश्नावलियों को ऑनलाइन भरने की जानकारी हेतु निदेशालय स्तर पर कन्सलटेन्ट (आर0जी0एस0ए0) पंचायतीराज, उ0प्र0 द्वारा प्रशिक्षण दिया जाना।	दिनांक 14.01.2020
2	**ग्राम पंचायत के सम्बन्ध में :–** दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार हेतु पंचायत राज की वेब–पोर्टल (www.panchayataward.gov.in) पर उपलब्ध सामान्य श्रेणी में ग्राम पंचायत की 100 अंको वाली प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर व सामान्य+विषयगत श्रेणी में पुरस्कार हेतु ग्राम पंचायत की 20 अंकों वाली प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर सम्बन्धित जनपद के सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी) तथा प्रधान द्वारा साक्ष्यों के आधार पर सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी (पं0) की देखरेख में सचिव ग्राम पंचायत द्वारा ऑनलाइन भरकर (Freeze) अग्रसारित किया जाना।	दिनांक 31.01.2020 तक
3	पंचायतों द्वारा फ्रीज की गई प्रश्नावलियों को जनपद स्तर पर गठित अध्यक्ष/जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी द्वारा परीक्षण/अनुमोदन कर ऑनलाइन राज्य स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी को भरकर (Freeze) अग्रसारित किया जाना।	दिनांक 05.02.2020 तक
4	**क्षेत्र पंचायत के सम्बन्ध में :–** दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार हेतु पंचायतीराज की वेब–पोर्टल (www.panchayataward.gov.in) पर उपलब्ध सामान्य श्रेणी में क्षेत्र पंचायत की 100 अंको वाली प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर सम्बन्धित जनपद के सम्बन्धित विकास खण्डों के सहायक विकास अधिकारी (पं0)/खण्ड विकास अधिकारी/ब्लाक प्रमुख की देखरेख में साक्ष्यों के आधार पर सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा ऑनलाइन भरकर प्रश्नावलियां भरकर (Freeze) अग्रसारित किया जाना।	दिनांक 31.01.2020 तक

Amit Sri.

क्र0सं0	गतिविधि	दिनांक
5	**क्षेत्र पंचायत के सम्बन्ध में :–** क्षेत्र पंचायतों द्वारा फ्रीज की गईप्रश्नावलियों को जनपद स्तर पर गठित अध्यक्ष/जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी द्वारा परीक्षण/अनुमोदन कर ऑनलाइन राज्य स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी को भरकर (Freeze) अग्रसारित किया जाना।	दिनांक 05.02.2020 तक
6	**जिला पंचायत के सम्बन्ध में :–** पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार हेतु पंचायतीराज की वेब–पोर्टल (www.panchayataward.gov.in) पर उपलब्ध सामान्य श्रेणी में जिला पंचायतों की 100 अंको वाली प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर सम्बन्धित जनपद के अपर मुख्य अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/जिला पंचायत, अध्यक्ष की देखरेख में साक्ष्यों के आधार पर जनपद के सम्बन्धित अपर मुख्य अधिकारी द्वारा ऑनलाइन भरकर फ्रीज कर अग्रसारित किया जाना।	दिनांक 31.01.2020 तक
7	स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी को जिला पंचायतों द्वारा अग्रसारित प्रश्नावलियों का उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक के स्तर से परीक्षण कर चयनित सूची स्थलीय सत्यापन के लिए ऑफलाइन को उपलब्ध कराया जाना।	दिनांक 05.02.2020 तक
8	नाना जी देशमुख गौरव ग्राम सभा के वर्ष 2018–19 के उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा ऑनलाइन भरकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी को भरकर (Freeze) अग्रसारित किया जाना।	दिनांक 31.01.2020 तक
9	नाना जी देशमुख गौरव ग्राम सभा के अन्तर्गत जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी द्वारा अनुमोदित/चयनित ग्राम सभा की प्रश्नावलियों को राज्य स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी को भरकर (Freeze) अग्रसारित किया जाना।	दिनांक 05.02.2020 तक
	ग्राम पंचायत विकास योजना (जी0पी0डी0पी0) के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 के उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा ऑनलाइन भरकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी को भरकर (Freeze) अग्रसारित किया जाना।	दिनांक 31.01.2020 तक

Amit Sri.

क्र0सं0	गतिविधि	दिनांक
	ग्राम पंचायत विकास योजना (जी0पी0डी0पी0) के अन्तर्गत जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी द्वारा अनुमोदित/चयनित ग्राम सभा की प्रश्नावलियों को राज्य स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी को भरकर (Freeze) अग्रसारित किया जाना।	दिनांक 05.02.2020 तक
	बाल मैत्री ग्राम पंचायत पुरस्कार के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 के उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा ऑनलाइन भरकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी को भरकर (Freeze) अग्रसारित किया जाना।	दिनांक 31.01.2020 तक
	बाल मैत्री ग्राम पंचायत पुरस्कार के अन्तर्गत जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी द्वारा अनुमोदित/ चयनित ग्राम सभा की प्रश्नावलियों को राज्य स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (SPPAC) को भरकर (Freeze) अग्रसारित किया जाना।	दिनांक 05.02.2020 तक
10	निदेशालय स्तर पर जनपदों से ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत की प्राप्तांकों के आधार पर प्राप्त सर्वोत्कृष्ट अंक वाली प्रश्नावलियों को अंकों के अवरोही क्रम में कर 06 जिला पंचायत, 12 क्षेत्र पंचायत और 90 ग्राम पंचायतों की सूची व 02 ग्राम सभा की सूची निदेशालय स्तर पर गठित समिति द्वारा तैयार किया जाना।	दिनांक 07.02.2020 तक
11	सत्यापन दल गठन करना तथा सत्यापन दल को पंचायतों के स्थलीय सत्यापन की जानकारी हेतु निदेशालय स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाना।	दिनांक 07.02.2020 तक
12	सत्यापन दल द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों का स्थलीय सत्यापन किया जाना।	दिनांक 07–13 फरवरी, 2020
13	सत्यापन दल द्वारा सत्यापन रिपोर्ट स्टेट पंचायत परफरामेन्स असेसमेन्ट कमेटी को अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराया जाना।	दिनांक 13.02.2020 तक
14	स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी द्वारा चयनित दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार के अन्तर्गत 30 ग्राम पंचायत, 04 क्षेत्र पंचायत तथा 02 जिला पंचायत, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार के अन्तर्गत एक ग्राम सभाओं, ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार	दिनांक 14.02.2020 तक

Amit Sri.

क्र0सं0	गतिविधि	दिनांक
	के अन्तर्गत 01 ग्राम पंचायत एवं बालमैत्री ग्राम पंचायत पुरस्कार के अन्तर्गत 01 ग्राम पंचायत का प्रस्ताव पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाना।	

नोट :– उक्त योजनान्तर्गत पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशानुसार समय–सारणी उक्त सीमा तक निदेशक, पंचायतीराज द्वारा संशोधित की जा सकेगी।

Amit Sri.

उत्तर प्रदेश शासन
पंचायती राज अनुभाग--3
संख्या--2915(1)/33-3--2015--153/2015
लखनऊ: दिनांक 30 अक्टूबर, 2015

कार्यालय ज्ञाप

पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पंचायत सशक्तीकरण एवं उत्तरदायित
प्रोत्साहन योजना के संचालन हेतु मार्ग निर्देशिका के बिन्दु 5.3.1 में विहित व्यवस्था के अनुक्र
में राज्य, मण्डल तथा जनपद स्तर पर पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी को गठ
विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या--2082(1) /33-1--2011--191जी0आई0/11 दिनां
22.07.2011 को अवक्रमित करते हुए पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पंचाय
सशक्तीकरण एवं उत्तरदायित्व प्रोत्साहन योजना के संचालन हेतु अतिरिक्त मार्ग निर्देशिका
बिन्दु 2.3 में विहित व्यवस्था के अनुक्रम में राज्य स्तर पर पंचायत परफारमेन्स असेसमे
कमेटी का निम्नवत् गठन किया जाता है:-

स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (SPPAC)-

1	प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।	अध्यक्ष
2	महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान अथवा उनका प्रतिनिधि।	सदस्य
3	प्रमुख सचिव/सचिव, प्राथमिक शिक्षा अथवा उनका प्रतिनिधि।	सदस्य
4	प्रमुख सचिव/सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अथवा उनका प्रतिनिधि।	सदस्य
5	आयुक्त ग्राम्य विकास अथवा उनका प्रतिनिधि।	सदस्य
6	विशेष सचिव, पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 शासन।	सदस्य
7	निदेशक, पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 लखनऊ।	सदस्य
8	अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक, पंचायतीराज विभाग उ0प्र0।	सदस्य संयोजक
9	कंसलटेन्ट (RGPSA) पंचायती राज उ0प्र0।	~~सदस्य~~
10	उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक उ0प्र0 लखनऊ।	सदस्य
11	प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा नामित चार प्रधान, दो प्रमुख तथा एक अध्यक्ष जिला पंचायत एव पंचायतीराज क्षेत्र में कार्यरत एक गैर शासकीय संगठन का प्रतिनिधि।	सदस्य

जनपद स्तरीय स्टेट पंचायत परफारमेन्स-असेसमेन्ट कमेटी (Distt. PPAC)-

1	जिलाधिकारी।	अध्यक्ष
2	मुख्य विकास अधिकारी।	उपाध्यक्ष
3	जिला पंचायत राज अधिकारी।	सदस्य सचिव
4	जिला विकास अधिकारी।	सदस्य
5	अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत।	सदस्य

2- पंचायत सशक्तीकरण एवं उत्तरदायित्व प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन हेतु समि
निम्नलिखित उत्तरदायित्व होगे:-

(1) प्रश्नावली सूचकांक एवं कार्य के अंकन का निर्धारण।
(2) प्रश्नावली सूचकांक एवं कार्य के अंकन का निर्धारण। समय-समय पर सूचकांक प्रश्नावली तथा अंक दिये जाने पर पुनर्विचार किया ज
(3) जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से पुरस्कृत किए जाने वाली पंचायतों की संख्या का निर्धारण।
(4) पंचायतों की कार्य एवं उपलब्धि का मूल्यांकन।
(5) चयनित पंचायतों की उपलब्धियों के सत्यापन हेतु सर्वेक्षण/निरीक्षण दलों का

Scanned by CamScanner

(6) योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत की जाने वाली जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों का चयन।

(7) अन्य समिति के अध्यक्ष द्वारा लिए गये निर्णयानुसार।'

उक्त कार्यालय ज्ञाप इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

संख्या– /33–3–2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) सुश्री रश्मि शुक्ला शर्मा, अपर सचिव, पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली।
(2) समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0।
(3) निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0 लखनऊ।
(4) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, पंचायतीराज, विभाग, उ0प्र0 शासन।
(5) समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पं0) पंचायती राज उ0प्र0।
(6) समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत उ0प्र0।
(7) समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी पंचायती राज उ0प्र0।
(8) समस्त उपनिदेशक प्राथमिक शिक्षा उ0प्र0।
(9) समस्त क्षेत्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के प्राचार्य।
(10) समस्त अपर निदेशक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा उ0प्र0।
(11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिवराम
संयुक्त सचि
री)